प्रेस नोट थाना गोरखनाथ गोरखपुर दिनांक- 30.05.2021

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

विष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा दिये गये आदेश व निर्देश के क्रम में शहर क्षेत्र में हो रही अवैध शराब के निष्कर्षण व विक्री की रोकथाम को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ / क्राइम के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में थाना गोरखनाथ की पुलिस द्वारा मुखिवर खास के सूचना पर 01 अभियुक्त को 10 लीटर अवैध अपिमश्रित शराब व 500 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौशादर व 01 अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-

- 1-प्रदीप उर्फ मोनू निषाद पुत्र स्व0 कन्हई निवासी रामपुर नयागांव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 2-राजकुमार सोनकर पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण निवासी मिर्जापुर झुगिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- 1. एक प्लास्टिक की जरिकेन में 10 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम नौशादर।
- 2. एक प्लास्टिक की जरिकेन में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक व समय -

- 1-रामपुर नयागांव, **दिनांक** 30.05.2021, **समय-** 06.10 AM
- 2- शान्तिवरन लान कौड़ियहवा, **दिनांक** 30.05.2021, **समय-** 07.25 AM

पंजीकृत अभियोग

- 1. मु0अ0सं0 168/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा0द0वि0 थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
- 2. मु0अ0सं0 169/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

- 1. उ0नि0 शैलेश कुमार थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
- 2. हे0का0 कमलेश सिंह यादव थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
- 3. हे0का0 लाल बहादुर सिंह यादव थाना गोरखनाथ गोरखपुर।